

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामिल
में जारी हुए

इसी। इसे से प्रतिन होता है कि वादी
बाद चलाना ही नहीं चाहते हैं। अतः
वादी का बाद अफस जैसी अफस हाजरी
गैरवारिज किआ जाता है। का-पैसा
शुमार होकर नम्बर से का हो। बाद
कमाल करिबल नम्बर हो।

ध

अफस अधिकारी
नीयतना (अलवर) राज.

स्वा
घर
राजी
रु
नि
व्या
पत्र
बटा



वादी
र-2